बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद
Email:- ceaurangabad11@gmail.com

अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रण सूचना संख्या –01/2026–27

पत्रांकः–.................../औरंगाबाद दिनांक–...............................

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद परिक्षेत्राधीन सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद/ सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी/ सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर/ सोन नहर प्रमंडल, खगौल/ उतर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद/ उतर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर/ उतर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा/ बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, अम्बा/उतर कोयल बॉध एवं बराज प्रमंडल, मोहम्मदगंज/पुनपुन बराज प्रमंडल–1, गोह एवं पुनपुन बराज प्रमंडल–2, गोह के क्षेत्राधीन नहर सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की आपूर्ति कार्य/विभिन्न प्रकार के मशीनों की आपूर्ति कार्य इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओवरहेड रहित) पर अथवा अधीक्षण अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद एवं उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद द्वारा स्वीकृत दर पर निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्ति/सेवा हेतु कोटेशनदाताओं /आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशनदाताओं /आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं का जल संसाधन विभाग में किसी भी श्रेणी या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिर्वाय होगा।
2. निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश (की शर्त्तें) लागू होंगे।
3. सभी प्रकार के टैक्स/रॉयल्टी/मालिकाना फीस/GST/INCOME TAX/LABOUR CESS इत्यादि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
4. इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के साथ कोटेशनदाताओं को निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति बंद लिफाफा में जमा करना होगा :–
   (i) वैध निबंधन पत्र।
   (ii) पैन कार्ड की प्रति।
   (iii) जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
   (iv) वैध आचरण प्रमाण–पत्र।
   (v) ई–मेल आई0डी0।
   (vi) पूर्ण स्थाई एवं अस्थाई पता।
   (vii) मोबाईल नं0/Whatsapp mobile No.
   (viii) आधार कार्ड की छाया प्रति।
   (ix) कार्य करने हेतु इच्छुक प्रमंडलों का नाम
5. निविदादाताओं को निम्न रुप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र मूल में जमा करना होगा :–
   i. "I the undersigned do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting"
   ii. यह कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
   iii. कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ विभागीय रूप से कार्य सम्पादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरुप कार्य नहीं पाए जाने पर **'विभाग'** कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
6. तकनीकी रुप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा। त्वरित विभागीय प्रक्रियाओं के अनुपालनार्थ/इच्छुक कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्त्ता/ सेवाप्रदाता को **अधिकतम 03 (तीन) अदद प्रमंडलों का ही चयन करना होगा।**
7. परिक्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा चयनित प्रमंडल द्वारा आकस्मिकता के आधार पर मांगे गए सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति तत्क्षण/उसी दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. सूचीबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं से सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति हेतु संबंधित प्रमंडल द्वारा नियमानुकूल न्यूनतम दर प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता से एकरारनामा कर कार्य ससमय सम्पन्न

कराया जाएगा। आकस्मिक कार्य के लिए न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु सूचना प्रमंडलीय सूचना पट्ट पर दिया जाएगा जिसे प्रतिदिन सूचिबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं द्वारा देखा जाना अपेक्षित होगा।

9. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का द्योतक नहीं होगा।
10. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा मात्र मोबाईल फोन के माध्यम से भी सूचित कर उपलब्ध सूचिबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।
11. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान, आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
12. खरीफ/रब्बी सिंचाई अवधि में कार्य कराने के संबंध में विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) में दिये गये दिशा निर्देश का शत–प्रतिशत अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का आमंत्रण दिनांक–04 मई 2026 से दिनांक–08 मई 2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा एवं दिनांक– 08 मई 2026 को 3.30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं /आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के कार्यालय में खोला जाएगा। **किसी अन्य माध्यम से प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
14. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–1964, दिनांक–09.05.2025 के आलोक में संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं से संबंधित संसूचित निदेशः–**"जल संसाधन विभागान्तर्गत आमंत्रित निविदाओं में संवेदक द्वारा संलग्न पूर्व में Offline माध्यम से निर्गत वैसे निबंधन प्रमाण–पत्र जिसे संवेदक द्वारा Online में परिवर्त्तित नहीं कराया गया है, विभागान्तर्गत आमंत्रित निविदाओं हेतु अमान्य होंगे"** जो वर्त्तमान प्रकाशित **इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)** में भाग लेने वाले सभी संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं **(चतुर्थ श्रेणी सहित)** पर भी लागु होंगें।
15. मुख्य अभियंता को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सर्म्पक किया जा सकता है।

ह0/-

(ई0 अर्जुन प्रसाद सिंह)
मुख्य अभियंता
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद
मोबाईल नम्बरः–7463889714

ज्ञापांकः–747/ औरंगाबाद दिनांक–13/04/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु0– PDF एवं M.S. Word Copy.

13/04/26

(ई0 अर्जुन प्रसाद सिंह)
मुख्य अभियंता

13/04/2026
AC

13/04/2026